पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 335/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.10.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 29.10.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी है-

*01.*थाना रानी की सराय: हत्या के प्रयास में *02* अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक *28.10.2024* को वादी नन्दलाल यादव पुत्र स्व*0* मक्का ग्राम चकवारा (कुकरही) थाना रानी की सराय आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक *27/10/2024* समय लगभग *5.30* बजे शाम को जमीनी रंजिश व रास्ते मे आने जाने को लेकर मेरे पटीदार कगदू यादव पुत्र स्व*0* लोकई , रामप्रसाद पुत्र कगदू यादव, नन्दलाल यादव उर्फ नगदू पुत्र स्व*0* लोकई, राममिलन यादव पुत्र नन्दलाल यादव उर्फ नगदू द्वारा मिलकर मेरे पुत्र मन्दीप यादव को घर से *100* मीटर दूर अकेला पाकर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से लाठी डन्डे व राड से मारे पीटे जिससे उसके सीने, सर और अन्य जगहो पर गम्भीर चोटे आई और मौके पर बेहोश हो गया जिसका दवा इलाज ग्लोबल हास्पिटल पता तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़ मे चल रहा है । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. *326/24* धारा *115(2)/352/109* बी.एन.एस पंजीकृत कर विवेचना व.उ.नि. गोपाल जी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक *29.10.2024* को व.उ.नि. गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कगदू यादव पुत्र स्व0 लोकई निवासी चकवारा कुकरही थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र 57 वर्ष, 2.नन्दलाल यादव उर्फ नगदू पुत्र स्व0 लोकई निवासी चकवारा कुकरही थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ उम्र 57 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 01 लोहे की राड व 01 डंडे के साथ चकबारा नहर पुलिया से समय करीब *12.10* बजे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02. थाना- महराजगंजः किराने की दुकान से सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि दिनांक *28.10.2024* को वादी लालचन्द्र यादव पुत्र होलई यादव निवासी चाँदपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा आवेदक के दुकान का ताला तोड़कर *3000* रु*0* व *08* लीटर सरसो का तेल चुरा लेने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु*0*अ*0*सं*0 410/24* धारा *331(4)/305* बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ*0*नि*0* अकीक अहमद द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त *1.* हसनैन पुत्र निजामुद्दीन उर्फ गामा निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ *2.* सलमान साह पुत्र जलालू शाह निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 28.10.2024 को उ*0*नि*0* अकीक अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.हसनैन पुत्र निजामुद्दीन उर्फ गामा निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़, *2.*अभियुक्त सलमान साह पुत्र जलालू शाह निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को चोरी गये सामान *1300* रुपये *2.* सरसो का तेल बैल कोल्हू ब्राण्ड एक लीटर की *04* बोतल व *500 ml* की *08* प्लास्टिक बोतल *3.* एक अदद चाकू के साथ प्रतापपुर पुलिया से समय करीब *21.10* बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हसनैन पुत्र निजामुद्दीन उर्फ गामा निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र *20* वर्ष
2. सलमान साह पुत्र जलालू शाह निवासी जलालपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र *19* वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. 1300 रुपये *2.* सरसो का तेल बैल कोल्हू ब्राण्ड एक लीटर की *04* बोतल व *500 ml* की *08* प्लास्टिक बोतल
3. एक अदद चाकू बरामद

03. थाना- कोतवाली: चोरी के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास –

अवगत कराना है कि वादिनी म*0*का*0* हसीना खातून साइबर क्राइम थाना जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि मेरे पति एयाज अहमद पुत्र साजिद अन्सारी जो *S.S.B* मे *G.D* पद पर नियुक्त है दिनांक *23.09.24* को अवकाश पर आजमगढ़ बस स्टैण्ड पहुचे इसी दौरान समान लेकर गाडी की तलाश कर रहे थे कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वैग चुरा कर भाग गया। बैग मे एक लेनेवो का लैपटाप जिसका सीरियल न*0-PF4QDDDM* तथा एक मोबाइल जिसका *IMEI* न*0-860431043462830* है। व अन्य समान जिसमे कैन्टीन से खरीदे तेल साबुन व कुछ कपडे थे सब बैग सहित चुरा ले गया। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु*0*अ*0*सं*0 600/24* धारा *303(2),317(2)* बीएनएस दि. *28.10.24* को थाना कोतवाली पर दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक *29.10.24* को उ*0*नि*0* लाल बहादुर बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त ध्रुव कुमार चौरसिया पुत्र स्व*0* पारसनाथ चौरसिया नि. गुरुटोला थाना कोतवाली आजमगढ़ उर *32* वर्ष को समय *8.05* बजे बाग लखराव से हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

04. थाना- कोतवाली: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र कि दिनांक *26/10/024* को दिन मे वादिनी के मम्मी और पापा दोनो लोग मामा के यहां गये थे। फिर रात मे करीब पापा भीम गौड (*10* बजे) वापस आ गये। उस समय हम सभी लोग सो रहे थे वादिनी के पिता घर मे जाकर वादिनी के साथ सोते समय दुष्कर्म किया गया तथा मना करने पर जान मारने की धमकी दिये और मारे पिटे भी है। उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 *601/24* धारा *65(1),115(2),351(3)* बीएनएस व *¾* पाक्सो एक्ट दि. *28.10.24* को पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण –

दिनांक *29.10.24* को प्र0नि0 शशि मौलि पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भीम गौड़ पुत्र स्व0 तेजू गौड़ सा. कपसा थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र *40* वर्ष को आई केयर हास्पिटल ब्रह्मस्थान से समय *08.00* बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

05.थाना-रौनापार:किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण

अवगत कराना है कि वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक *20.10.23* को समय करीब *08.00* बजे सुबह वादी की बहन उम्र करीब *16* वर्ष घर से स्कूल पढने गयी व देर शाम तक वापस न आने के सम्बन्ध मे दिनांक *22.10.23* मु0अ0सं0 *346/23* धारा *363* भादवि बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

पीड़िता की बरामदगी दिनांक *27.10.24* को करते हुए बयान अन्तर्गत धारा *161* व *164* दं0प्र0सं0 व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा *376/366* भा.द.वि. ¾ पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी किया गया तथा अभियुक्त धीरज पुत्र चन्द्रदेव निवासी गाढ़ा थाना पुपरी जनपद सीतामढ़ी बिहार का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक *29.10.24* को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त धीरज कुमार पुत्र चन्द्रदेव ठाकुर निवासी गाढ़ा थाना पुपरी जनपद सीतामढ़ी बिहार उम्र *23* वर्ष को पक्खोपुर तिराहा चाँदपट्टी रोड़ से समय करीब *9.30* बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

*06.*थाना-फूलपुर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक *28-10-24* वादी मुकदमा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी अयान पुत्र मोविन अहमद मोहल्ला अंसारी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा विगत *15* दिन से वादी की नाबालिक पुत्री उम्र 15 वर्ष को परेशान करना, छेडखानी व अशब्द भाषा का प्रयोग करने व समझाने पर वादी के परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना फूलपुर पर मु*0*अ*0*सं*0*-*542/2024* धारा,*296,351(2)/75* बीएनएस व *7/8* पाक्सो एक्ट बनाम अयान पुत्र मोविन अहमद मोहल्ला अंसारी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक- 29.10.2024 को उ*0*नि*0* दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि*0* अयान पुत्र मोबीन अहमद मोहल्ला अंसारी कस्बा फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को बीएसएनएल कालोनी जौमा तिराहा से समय करीब *06.45* बजे हिरासत पुलिस में लिया गया, तथा न्यायिक अभिरक्षा जिलाकारागार भेजा गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र*0*सं*0*	मु*0*अ*0*सं*0*	धारा	थाना	जनपद
1.	*135/24*	*323/504/506* भादवि	फूलपुर	आजमगढ़
2.	*542/24*	*296,351(2)/75* बीएनएस व *7/8* पाक्सो एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़